न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

विजय कुमार बनाम छोटेलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा ... 116/2023	
	19/12/23 ... दिनांक 2-1-24	
02.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 30.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
30.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
116/2023	2023/1069	14.08.2023	30.01.2024

उनवान प्रकरण

1. विजय कुमार पुत्र रूघनाथ आयु 45 वर्ष
2. श्यामलाल पुत्र रूघनाथ आयु 40 वर्ष
3. अनिल कुमार पुत्र रूघनाथ आयु 38 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 11, मौहल्ला बनिया वाला कुंआ रेल्वे स्टेशन के सामने, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

—वादीगण

बनाम्

1. फतेहलाल पुत्र रूघनाथ आयु 58 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 11 मौहल्ला बनिया वाला कुंआ रेल्वे स्टेशन के सामने श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. उप पंजियक, श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला सीकर (राज.)

3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादीगण ––

उपस्थित:–
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री पवन कुमार त्यागी, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2390 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2391 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 2393 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2394 रकबा 1.88 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.93 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे जो गलत है। वादीगण एंव प्रतिवादी नम्बर 1 आपस में सगे भाई है तथा उक्त वर्णित भूमियो में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्से पर सभी भाई बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है अर्थात उक्त 1/2 हिस्से में सभी भाई [illegible] काबिज काश्त निरन्तर निर्विघन रूप से चले आ रहे है अर्थात [illegible] बराबर–बराबर 1/8 – 1/8 हिस्से पर काबिज काश्त [illegible] के हिस्से से प्रतिवादी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: Self Attested

30/01/24

1 का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही है। वादग्रस्त भूमियो पर वादीगण उक्त 1/8 – 1/8 – 1/8 हिस्से पर एंव शेष 1/8 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है। वादीगण के अपने हिस्से व अधिकार में बाह्मी बंटवारे के अनुसार भूमि आयी हुयी है। अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमियो में अलग से सींवनींव कायम कर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है व वर्तमान स्वरूप में भूमियो को विकसित कर उपयोग –उपभोग करते चले आ रहे है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एंव खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 को नही है, ना ही भूमियो को खुर्द–बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त नही है तथा ना ही नीवं सींव को तोड़कर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त है। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियो का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये उक्त भूमियो की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को कई बार वादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी अंकित करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 पहले तो हां करता रहा एंव आश्वासन देता रहा परन्तु अब भूमियो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण वादीगण की भूमियो पर प्रतिवादी नम्बर 1 की गलत नजर हो गयी है। दिनांक 08.08.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त वर्णित भूमियो में वादीगण के हक हिस्से व अधिकार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम करने बाबत कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार हो जाने पर [illegible] उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक होने पर [illegible] वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री [illegible] निवेदन किया है कि कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24

खसरा नम्बर 2390 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2391 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 2393 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2394 रकबा 1.88 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.93 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक को 1/8, 1/8, 1/8 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसमें दर्ज प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग खातेदारी दर्ज की जावे एंव शेष 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 का यथावत रखे जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा वादीगण बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री पवन त्यागी एड0 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान वकील वादीगण श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 ने एंव प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान प्रतिवादी वकील श्री पवन त्यागी एड0 के द्वारा पहचान की जाने राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

हमनें वकील वादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति इत्यादि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियाँ खसरा नम्बर 2390 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2391 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 2393 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2394 रकबा 1.88 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.93 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई होना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा आपस में सगे भाई होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमियों के हिस्से पर सभी भाईयों के द्वारा बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज काश्त चले आना अंकित किया है परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किस आधार पर व किस प्रकार से आई है, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है एंव ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि वकील वादीगण ने अपनी बहस में उक्त भूमियों को पैत्रृक भूमि होना अवगत कराते हुए सभी भाईयों के नाम बराबर–बराबर हिस्से में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा किये जाने का निवेदन किया है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के आपस में सगे भाई होने से उनको वैधानिक हक हिस्से में मिलने वाले हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्राकृतिक न्याय की भावना को मध्यनजर रखते हुए खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वादीगण को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त [illegible] वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार [illegible] की जाती है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2390 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 2391 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24

1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 2393 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 2394 रकबा 1.88 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.93 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक को 1/8, 1/8, 1/8 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हजफ फरमाया जाकर अलग खातेदारी दर्ज की जावे एंव शेष 1/8 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम यथावत रखे जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:09 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)